

10

**प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय**  
**361, लेखापरीक्षा भवन, अण्णा सालै, तेनमपेट, चेन्नै-600 018**  
**Office Of The Principal Director Of Audit (Central),No.361,**  
**"LekhaParikshaBhavan"AnnaSalai,Tenyampet,Chennai -600018**

**No.PDA(C)/Claims I/TA/2022-23/45**

**Dated: 04.11.2022**

**CIRCULAR No.23**

Ministry of Finance, Department of Expenditure, New Delhi vide OM.No.19030/1/2017-E.IV,dt.12/09/2022 had issued OM regarding Admissibility to travel by Tejas Express Trains on official Tour.

This is circulated for reference.

(vide orders of DD/Admn. dt. 04/11/2022 )

*Lakshmi Shaukar*

**Senior Audit Officer/Claims**  
**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा**

**To**  
**All Sections**  
**Notice Board**  
**SAO/Hindi Cell (for translation in Hindi)**  
**SAO/EDP for uploading in official website and for sending SMS**

193C

No. 19030/1/2017-E.IV  
Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Expenditure

\*\*\*

North Block, New Delhi.  
Dated the 12<sup>th</sup> September, 2022

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: Admissibility to travel by Tejas Express Trains on Official Tour.**

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017 wherein travel entitlements for journey on Tour/ Training/Transfer/Retirement have been prescribed.

2. The matter regarding admissibility of travel by Tejas Express Trains on official Tour has been considered in this Department. It has been decided to allow Central Govt. employees to travel by Tejas Express Trains for journey on Tour/Training/Transfer/Retirement, in addition to the Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017. Travel entitlement in Tejas Express Trains would be same as that of Shatabdi Trains as mentioned in para 2 A (ii) of this Department's OM of even number dated 13.07.2017.

3. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

4. This is issued with the approval of Finance Secretary & Secretary (Expenditure).



(Nirmala Dev)  
Director

To,

All Ministries and Departments of the Govt. of India etc. as per standard distribution list.

Copy to : C&AG and U.P.S.C. etc. as per standard endorsement list.



प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय  
“लेखापरीक्षा भवन”, 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

सं.प्रनिलेप(के)/दावा-I/IV/22-23/45

दि.03.11.2022

परिपत्र सं.-23

दिनांक 12.09.2022 के कार्य. ज्ञा. संख्या 19030/I/2017-E.IV के माध्यम से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली ने आधिकारिक दौरे पर तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा करने की स्वीकार्यता के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया।

(निदेशक/ प्रशा. के आदेशानुसार)

मधुमी शंकर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा

प्रति:

अंग्रेजी रूपांतरणनुसार

फा.सं.190301/1/2017-ई.IV

भारत सरकार,  
वित्त मंत्रालय  
व्यय विभाग

\*\*\*


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 12 सितंबर, 2022

कार्यालय जापन

**विषय:** सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के का.जा. संख्या 19030/1/2017-ई.IV का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर यात्रा के लिए यात्रा हकदारियों का निर्धारण किया गया है।

- सरकारी दौरे पर तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा यात्रा की स्वीकार्यता के मामले के बारे में इस विभाग में विचार किया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति पर इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2 क (ii) में उल्लिखित रेलगाड़ियों के अलावा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से यात्रा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा की हकदारी इस विभाग के दिनांक 13.07.2017 के समसंख्यक का.जा. के पैरा 2क(ii) में यथा उल्लिखित शताब्दी रेलगाड़ियों के समान होगी।
- जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत यथा अधिदेशित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
- इसे वित्त सचिव एवं सचिव (व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(निर्मला देव)  
निदेशक

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि:- भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।